राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश में स्थित समस्त क्लब, पब, डिस्को, नाईट क्लब, बार, समस्त छात्रावास, सरकारी एवं निजी पुस्तकालय आदि दिनांक **31 मार्च, 2020 तक बन्द रहेंगे।** प्रदेश के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अभिवाभक एवं अध्यापक मीटिंग (पीटीएम) पर भी दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। साथ ही राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नये प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उपस्थिति से मुक्त रखा जावे।

इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित सभी रेस्टोरेन्टों में केवल होम डिलेवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने (Take away) की सुविधा ही उपलब्ध रहेंगी, रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

19/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि रेस्टोरेन्टों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
12. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
13. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 19.3.2020
शासन उप सचिव